SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (पंजीकृत)

(Regd Under the Indian Trust Act 1982 of the Govt. of India & Govt. of U.P.)
Regd. in Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India
Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Tehsil Road, Opp. Gali No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

National President
Adv. Nitin Yadav

Sr. National General Secretary
Prof. (Dr.) Anand Singh

National General Secretary
Prof. (Dr.) Rajeev Gupta

Sr. National Vice President
Prof. (Dr.) Nidhi Shukla

National Vice President
Prof. (Dr.) Anil Sharma

National Secretary/Treasurer
Prof. (Dr.) Anshu Bansal

State President
Adv. R.P. Khaitan (U.P.)
Dr. R.P. Verma (Punjab)
Adv. G.R. Sharvan (Karnataka)
Naved Chopra (M.P.)
Rajesh Wankhede (MH.)

Vice President (U.P.)
Prof. (Dr.) Shivpal Singh
Sharad Aggarwal
Ankur Tewatia

Secretary (U.P.)
Monika Chauhan
Dr. Ajay Kumar
Rajeev Chauhan
Dr. Anil Chandel
Mayank Aggarwal
Pradeep Yadav

Executive Board Member
Dr. Gaurav Varshney
Deepak Aggarwal
Prof. (Dr.) Harish Vaish
Dr. Shikha Kaushik
Dr. Vineeta Sharma
Vishal
Vipul Jain
Manoj Bhardwaj
Jitanshu
Manoj Bhati
Surendra Bhargav
Lalit Yadav

Ref. No:-2025/12/SFCF/140

Date:-29.12.2025
14.01.26

सेवा में,

माननीय कुलाधिपति महोदय,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ

विषयः स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राइवेट परीक्षा फॉर्म के अग्रसारण शुल्क का सत्र 2022–23 एवं 2023–24 से लंबित भुगतान, विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए जा रहे दोहरे मापदंड, विभागीय असामंजस्य एवं वित्तीय शोषण के संबंध में।

महोदय,

सेल्फ फाइनेंस कॉलेज फेडरेशन की ओर से यह अत्यंत गंभीर विषय आपके संज्ञान में लाना आवश्यक हो गया है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राइवेट परीक्षा फॉर्म का **अग्रसारण शुल्क विगत दो शैक्षिक सत्रों (2022–23 एवं 2023–24) से आज तक भुगतान नहीं किया गया है**, जबकि उक्त धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा अपने खाते में जमा कराई जाती रही है।

यह उल्लेखनीय है कि–

1. **अनुदानित महाविद्यालयों** को प्राइवेट परीक्षा फॉर्म का शुल्क फॉर्म के साथ ही महाविद्यालय में जमा कराने की छूट दी जाती है,

2. जबकि **स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रकरण में** विश्वविद्यालय शुल्क सीधे अपने खाते में जमा कराता है, परंतु उसके उपरांत उसे लौटाने/अग्रसारित करने के नाम पर निरंतर मौन, टालमटोल एवं विभागीय बहानेबाजी अपनाई जा रही है।

फेडरेशन द्वारा इस प्रकरण को पत्र दिनांक **04.10.2025** को परीक्षा नियंत्रक एवं वित्त अधिकारी के समक्ष रखा गया। इसके प्रत्युत्तर में विश्वविद्यालय के **लेखाधिकारी** ने अपने पत्र **दिनांक 14.10.2025** द्वारा अवगत कराया कि सत्र

Web : www.sfcf.in | Email : sfcf2023@gmail.com | Mob. 8954891289, 9412611801, 8909909174

Scanned with OKEN Scanner

2022–23 एवं 2023–24 की पत्रावलियाँ सत्यापन हेतु परीक्षा विभाग को भेजी गई हैं तथा उनके प्राप्त होने के पश्चात भुगतान संभव होगा। लेखाधिकारी के उक्त पत्र का संदर्भ देते हुए फेडरेशन ने **दिनांक 15.10.2025** को परीक्षा नियंत्रक से पत्रावली का तत्काल निस्तारण करने का अनुरोध किया, किंतु आश्चर्यजनक रूप से प्रकरण पुनः वित्त विभाग को भेज दिया गया और **दिनांक 12.11.2025** को लेखाधिकारी द्वारा फेडरेशन को फिर वही उत्तर प्रेषित कर दिया गया कि पत्रावली परीक्षा विभाग में लंबित है।

इस प्रकार विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग एवं वित्त विभाग के मध्य समन्वय के अभाव का दुष्परिणाम यह है कि **दो शैक्षिक सत्रों की धनराशि आज तक स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को नहीं मिली।**

फेडरेशन द्वारा जब इस विषय पर शासन स्तर पर आपत्ति की गई तो **प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग** द्वारा विश्वविद्यालय से आख्या तलब की गई। इसके क्रम में दिनांक 18.12.2025 को फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से विश्वविद्यालय स्तर पर फोन पर वार्ता कर समय की माँग की गई तथा शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया गया। **शासन को दिनांक 19.12.2025 को भेजे गए उत्तर में भी विश्वविद्यालय द्वारा** स्पष्ट रूप से शीघ्र समाधान का उल्लेख किया गया, किंतु आज दिनांक तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है।

उक्त परिस्थितियों में फेडरेशन निम्नलिखित गंभीर प्रश्नों के उत्तर चाहती है–

- स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के मामलों में ही विश्वविद्यालय द्वारा **दोहरे मापदंड** क्यों अपनाए जाते हैं?
- दो शैक्षिक सत्रों का अग्रसारण शुल्क लंबित रहने के लिए **उत्तरदायी कौन हैं**, तथा आज तक भुगतान का निर्धारण क्यों नहीं हुआ?
- विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं वित्त विभागों में आवश्यक **सामंजस्य का घोर अभाव क्यों बना हुआ है?**
- स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के लिए नियम व प्रक्रियाएँ अनुदानित महाविद्यालयों से अलग क्यों गढ़ी जाती हैं, और यह **शोषण किसके संरक्षण में निरंतर जारी है?**

यह भी अत्यंत गंभीर तथ्य है कि विश्वविद्यालय **विगत दो वर्षों से स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के अग्रसारण शुल्क की धनराशि का उपयोग कर रहा है, जो वित्तीय नियमों के सर्वथा विपरीत है।** अतः यह **धनराशि ब्याज सहित महाविद्यालयों को अविलंब दिलाई जाए** तथा इस प्रकरण में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

फेडरेशन का यह स्पष्ट मत है कि विश्वविद्यालय की मंशा स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रति कभी भी सकारात्मक नहीं रही है और प्रत्येक स्तर पर इन्हें मात्र शोषण का माध्यम समझकर अपने हित साधे जा रहे हैं, जो न केवल अनुचित है बल्कि शासन की मंशा एवं उच्च शिक्षा व्यवस्था की आत्मा के भी प्रतिकूल है।

14.01.26

14/01/26

Scanned with OKEN Scanner

अतः आपसे विनम्र किन्तु दृढ़ आग्रह है कि इस प्रकरण में हस्तक्षेप कर विश्वविद्यालय को निर्देशित करने की कृपा करें कि–

1. सत्र 2022–23 एवं 2023–24 का समस्त अग्रसारण शुल्क **ब्याज सहित** तत्काल भुगतान कराया जाए,

2. प्रकरण के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाए,

3. भविष्य में स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

सादर।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. **माननीय कुलपति,** चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
2. **वित्त अधिकारी,** चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

14.01.26		14/01/26
(एड0 नितिन यादव)	प्रो0 (डॉ0) निधि शुक्ला	प्रो0 (डॉ0) आनन्द सिंह
राष्ट्रीय अध्यक्ष	वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष	वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव

Scanned with OKEN Scanner

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

पत्रांक : लेखा/आई0जी0आर0एस0/3548
दिनांक : 14.10.2025

नोडल अधिकारी–आई0जी0आर0एस0,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषयः– समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (जनसुनवाई पोर्टल) उ0प्र0 सरकार के पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शिकायत संख्या–40013825037993 दिनांक 04.10.2025, स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ की शिकायत जो प्राइवेट परीक्षा फार्म का अग्रसारण शुल्क संस्थानों को प्राप्त करने सम्बन्ध में है, का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

उपरोक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि व्यक्तिगत परीक्षा कॉलिज वैरिफिकेशन शुल्क सत्र 2022–23 एवं 2023–24 से सम्बन्धित पत्रावली पत्रांक लेखा/1337, दिनांक 19.08.2025 को परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय को महाविद्यालय वार छात्रों की संख्या के सत्यापन हेतु प्रेषित की गई थी। जो तद्दिनांक तक प्राप्त नही हुई है। पत्रावली प्राप्त होने पर ही लेखा विभाग द्वारा शुल्क महाविद्यालयों को स्थानान्तरित की जा सकती है।

भवदीय,

लेखाधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

पत्रांक : लेखा/आई0जी0आर0एस0/4151
दिनांक : 12.11.2025

नोडल अधिकारी–आई0जी0आर0एस0,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषयः– समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (जनसुनवाई पोर्टल) उ0प्र0 सरकार के पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शिकायत संख्या–40013825039627 दिनांक 12.11.2025, स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ की शिकायत जो प्राइवेट परीक्षा फार्म का अग्रसारण शुल्क संस्थानों को प्राप्त करने सम्बन्ध में है, का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि व्यक्तिगत परीक्षा कॉलिज वैरिफकेशन शुल्क सत्र 2022–23 एवं 2023–24 से सम्बन्धित पत्रावली पत्रांक लेखा/1337, दिनांक 19.06.2025 को परीक्षा नियत्रंक कार्यालय को महाविद्यालय वार छात्रों की संख्या के सत्यापन हेतु प्रेषित की गई थी। जो तद्दिनांक तक प्राप्त नही हुई है। पत्रावली प्राप्त होने पर ही लेखा विभाग द्वारा शुल्क महाविद्यालयों को स्थानातरित की जा सकती है। उक्त के सम्बन्ध में आईजीआरएस संख्या 40013825037993, दिनांक 04.10.2025 की सूचना लेखा विभाग द्वारा पत्रांक लेखा आई0जी0आर0एस0/3548 दिनांक 14.10.2025 के द्वारा उपलब्ध करा दी गयी थी।

भवदीय,

लेखाधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/ 4638
दिनांक :- 19-12-2025

सेवा मे,

नोडल अधिकारी
(आई0जी0आर0एस0 सेल)
उच्च शिक्षा विभाग,
लखनऊ।

विषयः- समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (जनसुनवाई पोर्टल) उ0प्र0 सरकार के पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आई0जी0आर0एस0 संख्या–40013825039627 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जोकि स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संघ द्वारा की शिकायत के सम्बन्ध है।

क्र0सं0	शिकायत संख्या	आवेदनकर्त्ता का नाम	उत्तर विवरण
01.	40013825039627	स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संघ	अवगत कराना है कि शिकायतकर्त्ता से दूरभाष संख्या–8954891289 पर वार्ता की गयी। विश्वविद्यालय द्वारा उनको अवगत कराया गया है कि उनकी समस्या का समाधान अतिशीघ्र कर दिया जायेगा जिस पर शिकायतकर्त्ता द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप सन्दर्भित आई0जी0आर0एस0 संख्याः 40013825039627 को निक्षेपित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

19-12-25

वैयक्तिक सहायक
कुलसचिव कार्यालय

प्रतिलिपिः–

01. निदेशक (उ0शि0) उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0, प्रयागराज को सादर संज्ञानार्थ।

19-12-25

वैयक्तिक सहायक
कुलसचिव कार्यालय

Scanned with OKEN Scanner